प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय
थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर छ0ग0

विषय :— लोन देने के नाम पर धोखाधडी करने के संबंध में शिकायत।

महोदय,

सादर सनम्र निवेदन है की मैं रूपचंद मनहर पिता होरीलाल मनहर निवासी ग्राम सरगवां थाना तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर छ0ग0 का मुल निवासी हूं जो कि मैं एस.बी.आई. बैंक शाखा प्रबंधक से संपर्क किया हूं तो उनके द्वारा पोल्ट्री फार्म के नाम पर पी.एम.जी. शातकिय योजना के तहत 12,00,000/ बारह लाख रूपये लोन देने की बात कही गयी जीस पर मेरे द्वारा पूरा पेंपर वर्क कम्पलीट कर के उनको दिया गया जिसके पश्चात से विगत 10—11 माह से उनके द्वारा मुझे लगातार घुमाया जा रहा है । उनके द्वारा कहा जाता है कि पोल्ट्री फार्म का बीमा नही होता इसलिए लोन नही देगें 10 परसेंट कमीशन देने पर लोन देने कि बात कहते है वे लोग मुझसे 10 माह में 50,000/पचास हजार का मुर्गा खा चुके है और ना तो मेरा लोन पास कर रहे है और उल्टासीधा बोलकर कर भगा देते है और कहता है कि जब तक मै रहूंगा तबतक मै सतनामी लोग को लोन नही दुंगा। उनके लोन देने कि बात कहने पर मेरे द्वारा लोन हेतू दस्तावेज कराया गया है जिसमें मै बहुत खर्चा भी किया है और उक्त कार्य हेतू बाहर से कर्जा लिया था वे लोग भी मुझे परेशान कर रहे है। और एस.बी.आई मस्तूरी के शाखा प्रबंधक द्वारा मुझे आत्महत्या करने की बात भी बोला गया है।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि एस.बी.आई बैंक शाखा के विरूध कार्यवाही करते हुये पोल्ट्री फार्म हेतू लोन दिलाने की दया करें।इस हेतू आपका मै सदैव अभारी रहूंगा।

रूपचंद मनहर

आवेदक

दिनांक 24/10/2024

रूपचंद मनहर पिता होरीलाल मनहर

पता सरगवां तहसील मस्तूरी

25/10/24